कृषि निदेशालय,बिहार,पटना

संचिका संख्या–2 (गो०)सी०–02–165 / 16– / कृ0, पटना, दिनांक– 2017

आदेश

निबंधित ऐसा प्रतीत होता है कि श्री अजीत कुमार शर्मा, तत्कालीन प्रखंड कृषि

ई0मेल0 पदाधिकारी, गोरौल, वैशाली सम्प्रति निलंबित के विरूद्ध सिंचाई पाईप एवं पम्पसेट वितरण एवं अनुदान वितरण में भारी अनियमितता करने का आरोप प्रतिवेदित है, जो यदि सिद्ध हो गयी तो इन्हें वृहत दण्ड दिया जा सकेगा।

2. अतः श्री शर्मा के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–2005 के नियम–17 से 21 में विहित प्रक्रियाओं के तहत आरोप पत्र में विहित अभियोग के लिए विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ करने का निर्णय लिया गया।

3. इस विभागीय कार्यवाही के लिए संचालन पदाधिकारी के रूप में संयुक्त निदेशक (शष्य), तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर को नियुक्त किया जाता है एवं प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी के रूप में जिला कृषि पदाधिकारी, वैशाली को नियुक्त किया जाता है।

4. इस आदेश की एक प्रतिलिपि अनुलग्नों सहित श्री अजीत कुमार शर्मा, तत्कालीन प्रखंड कृषि पदाधिकारी, गोरौल, वैशाली सम्प्रति निलंबित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित की जा रही है।

ह०/–

(हिमांशु कुमार राय)
कृषि निदेशक,बिहार, पटना

ज्ञापांक / कृ0, पटना, दिनांक 2017

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक की प्रति के साथ संचालन पदाधिकारी संयुक्त निदेशक (शष्य), तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि ससमय कार्रवाई समाप्त कर विभागीय कार्यवाही के सभी मूल अभिलेखों सहित अपना जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाय। विभागीय कार्यवाही की तिथि समय एवं स्थान से आरोपित पदाधिकारी श्री अजीत कुमार शर्मा, तत्कालीन प्रखंड कृषि पदाधिकारी, गोरौल, वैशाली सम्प्रति निलंबित को पूर्व में ही अवगत करा दें ताकि वे समय पर गवाह आदि प्रस्तुत कर सकें। आरोपित श्री शर्मा को इस आदेश की एक प्रति भेज दी गयी है साथ ही संचालन पदाधिकारी अपने स्तर से पत्र का तामिला कराना सुनिश्चित करेंगे एवं ससमय विभागीय कार्यवाही सम्पन्न कर विभाग को उपलब्ध करायेंगे।

ह०/–

कृषि निदेशक, बिहार, पटना

D:\Prakash se 2\Proseding.docx

निबंधित ज्ञापांक /कृ0, पटना, दिनांक 2

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक के प्रति के साथ श्री अजीत कुमार शर्मा, तत्काले प्रखंड कृषि पदाधिकारी, गोरौल, वैशाली सम्प्रति निलंबित मुख्यालय संयुक्त निदेशक (शष्य), तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/–

कृषि निदेशक,बिहार,पटना

ज्ञापांक /कृ0, पटना, दिनांक 2017

नेबंधित **प्रतिलिपिः**– अनुलग्नक के प्रति के साथ प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी जिला कृषि पदाधिकारी, वैशाली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

आपको निदेश दिया जाता है कि विभागीय कार्यवाही सम्पन्न करने में संचालन पदाधिकारी को अपने स्तर से पूर्ण सहयोग देने का कष्ट करेंगे।

ह०/–

कृषि निदेशक, बिहार, पटना

ज्ञापांक /कृ0, पटना, दिनांक 2017

प्रतिलिपि– संयुक्त निदेशक (शष्य), तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर/ जिला कृषि पदाधिकारी, वैशाली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–

कृषि निदेशक,बिहार,पटना

ज्ञापांक 821 /कृ0, पटना, दिनांक 25/07/ 2017

प्रतिलिपिः– कृषि निदेशक के आप्त सचिव/निदेशक (प्र०)–सह–अपर सचिव/संयुक्त निदेशक (प्रशासन)/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24.7.17

कृषि निदेशक, बिहार, पटना

19.07.17

OK

D:\Prakash se-2\Proseding.docx